राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

आर एस आर टी सी

बनाम

शिमला देवी व अन्य

एकलपीठ सिविल विविध अपील नम्बर 4202/2017

11.09.2017

माननीय न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा

श्री विरेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलार्थी

सुना गया।

प्रत्यर्थीगण को अपील व स्थगन प्रार्थना के नोटिस आठ सप्ताह की वापसी के लिए जारी किये जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु एक सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।

अपीलार्थी आलौच्य निर्णय व पंचाट के अनुसरण में एक माह की अवधि में पंचाट की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज अधीनस्थ अधिकरण में जमा करायेगा। उक्त राशि जमा होने पर प्रत्यर्थीगण-क्लेमेंटस राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा परन्तु सावधि खाते में जमा राशि को इस न्यायालय के आदेश के बिना आहरित नहीं किया जावेगा तथा समयावधि पूर्ण होने पर सावधि जमा हर दो-दो वर्ष के लिए नवीनीकृत होती रहेगी।

प्रकरण आठ सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

बीएलजैन/ **57**